

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

482

संचिका सं०-04/NULM-25/16

179

पटना, दिनांक-30/3/18

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के SM&ID घटक के अधीन 9 नगर निकायों में गठित किये गये 232 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दी जाने वाली आवर्ती राशि (Revolving Fund) प्रति स्वयं सहायता समूह रू० 10,000.00 (दस हजार रू० मात्र) की दर से 232 X 10000.00 = कुल 2320000.00 रू० (तेईस लाख बीस हजार रू० मात्र) एवं हाजीपुर स्थित तीन क्षेत्र स्तरीय संगठन हेतु प्रति ALF रू० 50000.00 (पचास हजार मात्र) की दर से रू० 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार मात्र) अर्थात् कुल रू० 24,70,000.00 (चौबीस लाख सत्तर हजार रू० मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	SHG की संख्या	दर प्रति SHG	ALF की संख्या	दर प्रति ALF	कुल राशि
1.	तेघड़ा	8	10,000/-	0	0.00	80000.00
2.	बेनीपुर	10	10,000/-	0	0.00	100000.00
3.	बेतिया	19	10,000/-	0	0.00	190000.00
4.	अरवल	100	10,000/-	0	0.00	1000000.00
5.	फुलवारीशरीफ	12	10,000/-	0	0.00	120000.00
6.	डुमराँव	22	10,000/-	0	0.00	220000.00
7.	फतुहा	24	10,000/-	0	0.00	240000.00
8.	हाजीपुर	25	10,000/-	3	50000.00	400000.00
9.	बीहट	12	10,000/-	0	0.00	120000.00
					<b>कुल</b>	<b>24,70,000.00</b>

(चौबीस लाख सत्तर हजार रू० मात्र)

- सारणी में अंकित नगर निकाय के संबंधित स्वयं सहायता समूह की सूची संलग्न है।
- संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि का भुगतान स्वयं सहायता समूह (SHG)/ALF को RTGS के माध्यम से करेंगे।
- स्वीकृत राशि की विमुक्ति DAY-NULM योजना से RTGS/PFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक :-04/NULM-25/16-

822

न०वि०एवंआ०वि०/दिनांक- 30/3/18

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नगर निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी/संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PMC- NULM, इन्दिरा भवन, 7वाँ तल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।